(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० के अंतर्गत आने वाली नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस में उत्पादित कोयला अच्छी कोकिंग किस्म और कम राख की मात्रा वाला है, किन्तु इसमें उच्च सल्फर तत्व विद्यमान हैं। उच्च सल्फर तत्व होने के कारण यह कोयला इस्पात संयंत्रों में ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए केवल सीमित रूप में ही उपयोग किया जा सकता है। कोयले की शेष मात्रा की महत्वपूर्ण तथा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं जैसे, लेकों, सीमेंट, उर्वरक, कागज ईंट-भट्ठा उद्योग और अन्य उद्योगों को आपूर्ति की जा रही है।

(घ) परिष्करण किए जाने के पश्चात् इस्पात संयंत्रों में असम कोयले का अधिक उपयोग किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयले की राज्य-वार खपत

2325. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले की राज्य-वार खपत कितनी है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने उन्हें आवंटित माल-डिब्बों में कोयले की पूरी मात्रा का लदान निर्धारित समयावधि में कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों के दौरान कोयला उठाने के मामले में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान ईंट-भट्टों के लिए आपूर्ति किए गए कोयले की राज्य-वार मात्रा कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. नयमेगौड़ा) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले की कुल आपूर्ति 210.07 मिलियन टन थी। वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले (जिसमें हार्ड कोक और साफ्ट कोक शामिल है) की मात्रा नीचे की गई है :—

('000 टन में)

राज्य	कुल प्रेषण		
	को०इं०लि०	सि०को०क० लि०	जोड़
1	2	3	4
बिहार	17448	—	17448
उत्तर प्रदेश	27722	—	27722
उड़ीसा	8593	—	8593
मध्य प्रदेश	31588	—	31588
पश्चिमी बंगाल	15887	—	15887
महाराष्ट्र	20838	754	21592

1	2	3	4
गुजरात	14602	—	14602
दिल्ली	3853	—	3853
राजस्थान	4953	—	4953
पंजाब	6095	—	6095
हरियाणा	2976	—	2976
तमिलनाडु	7983	420	8403
आंध्र प्रदेश	3547	14485	18032
कर्नाटक	2049	1839	3888
केरल	174	42	216
हिमाचल प्रदेश	220	—	220
असम	1009	—	1009
जम्मू एवं काश्मीर	302	—	302
अन्य	149	—	149
जोड़	169988	17540	187528*

(ख) रेलवे द्वारा राज्य नियंत्रित प्राथमिकताओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कलेंडर वर्ष वार कोयले, साफ्ट कोक, और हार्ड कोक का संचलन किए जाने की मासिक अधिकतम सीमा राज्यवार निर्धारित की जाती है । रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार कलेंडर वर्ष 1991 (जुलाई तक) के दौरान ऐसे राज्य जिन्होंने अगले वैगनों की अधिकतम सीमा का आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग किया है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) बिहार
(2) उड़ीसा
(3) हरियाणा
(4) पंजाब
(5) दिल्ली (सं० शा०)
(6) उत्तर प्रदेश
(7) पश्चिमी बंगाल
(8) आंध्र प्रदेश
(9) जम्मू एवं काश्मीर
(10) हिमाचल प्रदेश
(11) राजस्थान
(12) कर्नाटक
(13) केरल
(14) तमिलनाडु
(15) गोवा
(16) चंडीगढ़, (सं० शा०)
(17) पांडिचेरी
(18) गुजरात
(19) मध्य प्रदेश
(20) महाराष्ट्र

*इसमें कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा रेलवे, रक्षा सेनाओं, आदि को जिन क्षेत्रों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा शामिल नहीं है ।

(ग) और (घ) साधारणतः कोयले की आपूर्ति न किए जाने अथवा आपूर्ति में विलंब किए जाने, आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता और/अथवा मात्रा से संबंधित और उन उपभोक्ताओं की वास्तविकता, जिन्हें कोयला आवंटित किया गया, आदि नियमों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं । ऐसी शिकायतों की संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा जांच की जाती है । यदि किसी कर्मचारी द्वारा किए गए काम में बुरी मंशा, लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

(ङ) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा वर्ष 1990–91 के दौरान ईंट भट्ठा इकाइयों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :—

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य	1990–91
बिहार	1146
पश्चिम बंगाल	178
उत्तर प्रदेश	662
उड़ीसा	2
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र	152
गुजरात	30
राजस्थान	331
दिल्ली	102
पंजाब	101
हरियाणा	32
तमिलनाडु	37.668
आन्ध्र प्रदेश	18.250
कर्नाटक	9.360
केरल	—
हिमाचल प्रदेश	—
असम	70
जम्मू और काश्मीर	291
अन्य	52
जोड़	3263.278

Korakattu open coal mines project in Bihar

2326. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of Coal be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned the Korakattu open coal mines project in Bihar;

(b) if so, the estimated expenditure likely to be incurred in this regard; and

(c) the number of families required to be rehabilitated?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (e) the Hon'ble Member is probably referring to Korakatta project of CCL which was sanctioned by the Government in June, 1982 for a targetted capacity of 1 m.t.p.a. and capital investment of Rs. 29.60 crores. The coal company has reported that the Project has been completed in March, 1990 and 200 families are required to be rehabilitated. Rehabilitation work is in progress.

Private sector power projects to develop captive coal mines

2327. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow private sector power projects to develop captive coal mines;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which to move would relieve the pressure on the public sector coal industry to develop new coal fields?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) Coal mining is at present reserved for public sector with the exceptions of captive mining and consumption by Iron and Steel Industry and mining in small isolated pockets not amenable to economical development and not requiring rail transport.